भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1357
दिनांक 30 जुलाई, 2024/ 08 श्रावण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

आत्महत्या के मामले

†1357. श्री सुब्बारायण के.:
श्री सेल्वाराज वी.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में आत्महत्या के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2023 और 2024 के दौरान आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों अर्थात् किसान, छात्र और अन्य का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क)और(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई आत्महत्याओं पर सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और उन्हें अपने प्रकाशन 'भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएं (एडीएसआई)' में प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्ट केवल वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं।

(ग): मानसिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) को लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाहरी रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श / मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकार वाले व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं,

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 1357, दिनांक 30.07.2024

एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाले रोगी सुविधा का प्रावधान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति तैयार की है। यह रणनीति उनकी वेबसाइट (www.mohfw.gov.in) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "नेशनल टेलीमेंटलहेल्थ प्रोग्राम" शुरू किया है। दिनांक 23.07.2024 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेलीमानससेल स्थापित किए हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं और हेल्पलाइन पर 11,76,000 से अधिक कॉल हैंडल किए गए हैं।

इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग से उनके विभाग के तहत शैक्षिक संस्थानों में एनटीएमएचपी / टेली मानस के व्यापक प्रचार और तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हेल्पलाइन का उपयोग करने के लिए छात्रों के बीच हेल्पलाइन नंबर साझा करने का भी अनुरोध किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों में छात्रों के बीच एनटीएमएचपी/टेली मानस के व्यापक प्रसार और प्रचार के लिए भी अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थानों, एआईआईएम और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों से भी अनुरोध किया गया है कि वे छात्रों के बीच टेलीमानस का प्रचार करें ताकि मुफ्त और गोपनीय समर्थन के लिए किसी भी समय हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सके।

*****